10/7/024

पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्ष वकील उप.। प्रार्थीगण वकील ने तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा अरणाय पटवार हल्का अरणाय तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 780,781,782,783784 कुल रकबा जुमले रकबा 13.15 हैक्टयर का आया हुआ है। भूमि में प्रार्थीगण 1/3 हिस्सा बनता है। लेकिन द्वितीय सेटलमेन्ट के सहायक भू.प्रबंधक अधिकारी ने गलत तरीके विधि विरूद्व से 1/3 हिस्से कम से ज्यादा दर्ज करदी इसी प्रकार अप्रार्थी के खाते में गलत तरीके से ज्यादा भूमि दर्ज होने से भूमि का बैचान रहन आदि करने पर उतारू है एवं प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू है अगर ऐसा होता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका आंकलन कतई द्रव्यों में सभव नही है। इस प्रकार तीनों मूलीभूत कानूनी स्तम्भ प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्वांत हम प्रार्थीगण के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण को ताफैसले तक मेरे कब्जे काश्त में न तो अप्रार्थीगण स्वंय दखलदांजी करे एवं न ही किसी अन्य से करावे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा वहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण जारी फरमावे।

अप्रार्थीगण वकील ने घोर विरोध करते हुए निवेदन किया कि उक्त आराजी का द्वितीय सेटलमेन्ट के दोरान सहमति से बंटवाड़ा होकर अमल दरामद हो चुका है जो सही है उसके बाद हम अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी के हकूक कब्जे काश्त की भूमि है। हम अप्रार्थीगण वंशानुगत कदीमी निरन्तर कब्जा उपयोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण हम अप्रार्थीगण की मालिकाना हक हकूक की भूमि को जबरन हड़प करना चाहते है। वादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवार की आराजी है, जिसके कण–कण पर प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार है। संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी पर सभी खातेदार कब्जा–काश्त है एवं अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। ऐसी सुरत में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण की बजाय अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से तथा वादग्रस्त आराजी के अप्रार्थीगण खातेदार होने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमनें उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात का अवलोकन व अध्ययन किया। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से अस्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः मौजा अरणाय पटवार [illegible] तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 780,781,782,783784 कुल र[illegible] रकबा 13.15 हैक्टयर आराजी पर अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्व [illegible] का [illegible]न अपास्त किया जाता है। तथा ताफैसला मूल [illegible] मौके की यथास्थिति बनाये रखे। इस आशय की अ[illegible] जारी की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.25 12:16:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner